

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ।

दिनांक: 25 मार्च, 2013

संख्या:- 10-विनियम/पाकालि/13-10-विनियम/88

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 22.03.2013 को सम्पन्न हुई 96वीं बैठक में कारपोरेशन के पूर्व में जारी का0ज्ञाप सं0 27-विनियम/पाकालि/12-10-विनियम/88 दिनांक 04.09.2012 एवं कार्यालय ज्ञाप 07-विनियम/पाकालि/13-10-विनियम/88 दिनांक 08.03.2013 को संज्ञानित किया गया एवं यह भी संज्ञानित किया कि वर्तमान में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 दो अलग स्वतंत्र निगम बनाये जा चुके हैं परन्तु इनमें कार्यरत अधिकारियों के सम्बन्ध में अभी भी कामन कैडर की व्यवस्था प्रचलित है। उक्त क्रम में मद संख्या छियानवे (07)/13 पर पारित आदेशों के अनुपालन में कारपोरेशन में अभियंत्रण संवर्ग के अधिकारियों के विभिन्न पदों यथा सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता(स्तर-2) एवं मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) एवं इन पदों के समकक्ष अन्य संवर्गों - लेखा, कार्मिक आदि के पदों पर नियुक्ति हेतु एतद्वारा निम्नांकित चयन समितियों का गठन किया जाता है :-

चयन समिति

- | पदनाम | | |
|--------------------------------|-----|--|
| 1. सहायक अभियन्ता एवं समकक्ष | (1) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ - अध्यक्ष |
| | (2) | निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ। |
| | (3) | निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग) अथवा कोई अन्य निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ। |
| | (4) | अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा नामित अधीक्षण अभियन्ता अथवा उससे उच्च स्तर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि। |
| | | -तदैव- |
| 2. अधिशासी अभियन्ता एवं समकक्ष | (1) | अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ। |
| 3. अधीक्षण अभियन्ता एवं समकक्ष | (2) | प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ। |
| | (3) | प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0 प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि। |
| | (4) | निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ। |
| | (5) | निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ। |

- 4 मुख्य अभियन्ता(स्तर-2)
एवं समकक्ष
- 5 मुख्य अभियन्ता(स्तर-1)
एवं समकक्ष

- (6) अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ द्वारा
नामित अधीक्षण अभियन्ता अथवा उससे उच्च स्तर के
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा
वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि ।
-तदैव-

-तदैव-

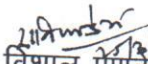
निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 10(1) विनियम/पाकालि/13-10-विनियम/88 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) प्रमुख सचिव(ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के निजी सचिव ।
- (2) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के विशेष सहायक ।
- (3) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव ।
- (4) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव ।
- (5) निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
- (6) समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव ।
- (7) अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
- (8) उप महाप्रबन्धक, लेखा प्रशासन, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ लखनऊ ।
- (9) कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
- (10) अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ लखनऊ ।

आज्ञा से,

()
(राम विशाल पण्डेय)
अपर सचिव-प्रथम